(89)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्ष : मनोज गोयल,
## अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 493–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–12–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 426/अपील/2010–11 ।

.....

शमीम खॉ आ0करीम खॉ
निवासी ग्राम उमरावगंज तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन

..... आवेदक

विरूद्ध

श्री कय्युम खॉ आ0 कराम खॉ,
निवासी ग्राम उमरावगंज तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन

..... अनावेदक

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक
श्री एल0एस0धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक

.....

## :: आदेश ::

( आज दिनांक 13/11/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम उमरावगंज तहसील गोहरगंज में करीम खॉ के नाम से सर्वे नम्बर 141, 149, 155, 159 कुल रकबा 31.97 एकड़ भूमि थी । करीम खॉ की मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर उभयपक्ष का नामान्तरण स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कय्युम खॉ ने उसके हिस्से की भूमि हेमसिंह व विजयसिंह को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय कर दी है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि रकबा 13.33 एकड़ पर कय्युम खॉ का हिस्सा रकबा 18.64 एकड़ पर श्मीम खॉ का हिस्सा है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–2–2007 को बटवारा आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–11–2007 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दोनों पक्षों की पुनः सुनवाई कर दिनांक 25–7–09 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–5–10 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 05–12–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार का आदेश यथावत् रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संयुक्त खाते की भूमि यदि एक हिस्सेदार द्वारा विकय की जाती है तो वह केवल अपने हिस्से की भूमि विकय कर सकता है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा

निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि संयुक्त खाते की भूमि से विक्रय की गई भूमि सहखातेदारों के हिस्से की भूमि से कम होगी । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी उचित नहीं है कि उभयपक्ष प्रश्नाधीन भूमि का बराबर लगान अदा कर सकते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के जिसे भाग पर आवेदक का नाम दर्ज है उसे वह भूमि हिस्से में प्राप्त होगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा जितनी भूमि विक्रय कर दी गई है वह उसी के हिस्से से कम होगी, क्योंकि आवेदक द्वारा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय नहीं किया है इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष द्वारा संयुक्त खाते की भूमि से भूमि विक्रय की गई है इसलिये दोनों हिस्से में से भूमि विक्रय की गई है । भूमि कम कर बटवारा आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् पटवारी से फर्द बटांन तैयार कराकर बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई थी अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में संयुक्त खाते से जो भूमि विक्रय हुई थी, वह दोनों भाईयों की सहमति से ही हुई थी । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही थी, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–12–2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर